

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय आदेश:-

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1970 एवं उक्त नियमों में प्रसारित संशोधित नियमों व वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक NO. F. 1(2)FD/Rules/2006-I Jaipur dated 22 FEB 2021 की पालना में मोनिका शर्मा, व्याख्याता- चित्रकला राउमावि. कामां (भरतपुर) को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा एवं आवेदन पत्र के आधार पर महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्ध ज्ञानवीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साइन्स सागर, मध्यप्रदेश से अंशकालीन बी.एड. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

01. नियमानुसार अर्जित अवकाश ही देय होंगे। अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा। प्रोबेशन अवधि का समय अवकाश अवधि के अनुरूप बढ़ जाएगा। अध्ययन पर होने वाला व्यय आशार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
02. डिग्री UGC/NCTE से मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है। इसकी सुनिश्चितता की जिम्मेदारी कार्मिक की स्वयं की होगी।
03. विद्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने अथवा शाला प्रधान एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिकूल अभिमत करने पर यह अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।
04. पाठ्यक्रम की वैधता नहीं होने की स्थिति में अथवा मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा।
05. बी.एड. की उपाधि प्रदत्त होने पर उपाधि की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

सत्यमेव जयते


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/परीक्षा अनुज्ञा/2020-21/15
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

दिनांक:- 31/01/2022

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर